प्रेस विज्ञप्ति

16/04/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 11.04.2025 को सुश्री उमा जसिंता बर्नी और अन्य के मामले में कोलकाता, दिल्ली और बैंगलोर में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जो एक डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी का मामला है। तलाशी के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा साइबर पीएस, कोलकाता में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी व्यक्ति पीड़ितों से पैसे ऐंठने की आपराधिक साजिश में शामिल थे, जिसमें उन्होंने सीबीआई और सीमा शुल्क जैसी एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण किया। उन्होंने फोन और व्हाट्सएप के जरिए पीड़ितों से संपर्क किया, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। आरोपियों ने पीड़ितों के नाम पर जारी किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सीमा शुल्क और सीबीआई के लोगो वाले जाली पत्र जैसे धोखाधड़ी वाले दस्तावेज बनाए और पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

ईडी की जांच में आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली का भी पता चला। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चालू बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने कमीशन के लालच में इन खातों को विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से उगाही गई धनराशि एकत्र करने के लिए उधार दिया था। यह पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल और नियंत्रित बैंक खातों के संबंध में कई शिकायतें की गई हैं। बैंक खातों के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि पीड़ितों से ठगी गई धनराशि को तुरंत कई खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि अवैध आय के निशान को छुपाया जा सके।

इससे पहले, ईडी ने मामले के दो मुख्य आरोपियों योगेश दुआ, निवासी दिल्ली और चिराग कपूर उर्फ चिंतक राज, निवासी बेंगलुरु को पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत 04.04.2025 को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को 08.04.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।